

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति फार्म
नियम 50 (1) के अन्तर्गत

राजस्थान पेंशन नियम, 1996 के क्रम में राजस्थान सेवा नियम 50 (1) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाहने वाले कर्मचारी के आवेदन का प्रारूप व सेवा विवरण

1. नाम
2. पिता का नाम
3. पद एवं संस्थापन स्थान
4. जन्म तिथि
5. वेतन व वेतन श्रृंखला
6. नियुक्ति तिथि
7. अर्हकारी सेवा (क्वालिफाइंग सर्विस)
प्रारम्भ करने की तिथि
8. 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा (क्वालिफाइंग सर्विस)
पूर्ण करने की तिथि
9. सेवा निवृत्ति तिथि
10. क्या कर्मचारी सेवा अवधि में निलम्बित
रहा है? यदि हां तो कब से कब तक
तथा निलम्बित अवधि का पेंशन हेतु
मान्य माना गया है अथवा नहीं।
11. सेवा अवधि में बिना वेतन लिए गए
अवकाश का विवरण (यदि स्थान
कम हो तो विवरण) अलग रोट पर दें।
12. क्या कर्मचारी वर्तमान में निलम्बित है?
यदि हां तो कब से एवं किन कारणों से?

13. क्या कर्मचारी के विरुद्ध सी0सी0ए0 आर0 नियम 16
अथवा 17 के अन्तर्गत कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही
विचाराधीन है ? यदि हां तो उसका विवरण
उपलब्ध करावें।
14. क्या कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय में फौजदारी
मुकदमा विचाराधीन है ? यदि हां तो उसका
विवरण उपलब्ध करावें।
15. कर्मचारी के विरुद्ध कोई बकाया राशि की
वसूली करना शेष हो तो उसका विवरण।
16. स्वैच्छक सेवा निवृत्ति के लिए प्रार्थना-पत्र
प्रस्तुत करने की तिथि।
17. सेवा निवृत्ति चाहने की तिथि।

स्वैच्छक सेवा निवृत्ति चाहने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
मय पद नाम

प्रमाणित किया जाता है तो उक्त विवरण का प्रमाणीकरण अधिकारी के सेवा पुस्तिका
अभिलेख से कर लिया गया है तथा उपरोक्त विवरण अभिलेख के आधार पर नहीं है।

हस्ताक्षर
प्रभारी अधिकारी/विभागाध्यक्ष
मय पद नाम व मोहर सहित